रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2001/चैत्र 21, 1923
No. 173] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2001/CHAITRA 21, 1923

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2001

सा. का. नि. 255(अ).—भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना स सा का नि 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखड (1) तारीख 28 मार्च, 2000 मे प्रकाशित हुई थी, की,—

(क) पंक्ति 5 मे, "1" के स्थान पर "1(1)" पढ़ें,

(ख) पक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

"(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।"

[फा सं 5(15)/94-एन. सी]

बी ए अग्रवाल, सयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2001

G.S.R. 255(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs) No G S R. 262(E), dated the 28th March, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 28th March, 2000,—

(a) in line 6, *for* "1", *read* "1 (1)",

(b) after line 7, *insert*—

"(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette"

[F No 5(15)/94-NC]

B A AGRAWAL, Jt Secy & Legal Adviser

1091 GI/2001

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054